UPAU010039562026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी–**मयंक चौहान** (एच०जे०एस०)

(J.O CODE **UP 2011**)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1053/2026

हनी उर्फ ताह पुत्र शमी अहमद निवासी मु० दयालपुर, थाना औरैया, जिला औरैया।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**अभियोजन पक्ष**

मुकदमा अपराध संख्या–247/2026
धारा–108 बी०एन०एस०
थाना– दिबियापुर, **जनपद** औरैया

दिनांकः 13.08.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1053/2026, प्रार्थी/अभियुक्त **हनी उर्फ ताह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 247/2026 अन्तर्गत धारा 108 बी०एन०एस०, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

2. मामले की प्रथम सूचना रिपार्ट वादिनी मुकदमा श्रीमती प्रेमलता ने थाना दिबियापुर, जनपद औरैया में लिखित तहरीर देकर दिनांक 30.06.2026 को 16.45 बजे इस आशय की दर्ज करायी कि प्रार्थिनी की पुत्री साक्षी उर्फ पल्लवी को मोबाइल नंबर 8218222510 व 9389947901 से हनी उर्फ ताह व अंकुर पुत्र रविन्द्र निवासी बेला रोड़ कस्बा व थाना दिबियापुर औरैया ने अपने प्रेमजाल में फंसा कर उसके अश्लील वीडियो बना लिये और वीडियो वायरल कर देने की धमकी देते हुए कई बार रूपये व सोने चांदी के जेवरात जिसकी कीमत 25,00,000/–रू० ले लिये हनी उर्फ ताह निवासी नामालूम प्रार्थिनी की पुत्री को धर्म परिवर्तित करने का बनाने लगा धर्म परिवर्तन न करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। धमकी से परेशान होकर प्रार्थिनी पुत्री ने दिनांक 29.06.2026 को समय करीब सुबह 9 बजे अपने शरीर में आग लगा ली सैफई अस्पताल ले जाते समय करीब 2 बजे दिन 29.06.2026 को मृत्यु हो गयी है। पोस्टमार्टम होने के बाद प्रार्थिनी थाने आयी है। सारी घटना प्रार्थिनी की पुत्री ने बतायी कई बार प्रार्थिनी को समझाने का प्रयास किया था। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 108 बी०एन०एस० में अभियुक्तगण हनी उर्फ ताह तथा अंकुर के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। वर्तमान मामले में विवेचना प्रचलित है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में तर्क प्रस्तुत किया गया

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.08.13 15:23:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

है कि उसको झूंठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार पीडिता ने दिनांक 29.06.2026 को सुबह 9 बजे अपने शरीर में आग लगायी थी और सैफई अस्पताल ले जाते समय दोपहर दो बजे दिन के आसपास उसकी मृत्यु हो गयी। पीडिता द्वारा आग लगाने से लेकर मृत्यु होने तक लगभग 5 घण्टे का समय था और इस बीच पीडिता ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था और न ही वादी द्वारा लगाये गये आरोपो की कोई पुष्टि की थी। पीडिता/मृतका से वह कभी मिला नहीं है और न ही उसने उसको कभी धर्म परिवर्तन के लिए कहा। वह इस मुकदमें के सहअभियुक्त अंकुर के साथ पढता है तथा अंकुर मृतका के ही खानदान गांव का है। उसके मोबाइल से पढ़ाई के सम्बन्ध में अंकुर कभी कभी बात कर लेता था जिसका उसके घरवाले विरोध करते थे तथा अंकुर के परिवार से मृतका के परिवारीजन की पूर्व से चली आ रही रंजिश को लेकर मृतका के पिता अंकुर से बात करने को लेकर मृतका को प्रताड़ित भी करते थे। इसकी जानकारी मृतका ने कई बार अंकुर को दी थी और अंकुर ने उसको बताया था। वह मृतका से कभी भी नहीं मिला और न ही उसने कभी सोने चांदी के जेवरात या पैसे लिये। वह पढने लिखने वाला छात्र है तथा उसको उक्त अपराध में केवल सहअभियुक्त अंकुर का दोस्त होने के कारण फंसाया गया है। मृत्यु से पूर्व मृतका ने उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी और न ही घायलावस्था में कोई बयान दिया था। उसके पास से इस घटना से सम्बन्धित अथवा प्रार्थी के ऊपर लगाये गये आरोपो से सम्बन्धित कोई भी बस्तु बरामद नहीं हुई है। उसके खिलाफ पूर्व में कोई अपराध पंजीकृत नहीं है और न ही उसने कोई अपराध कारित किया है। वह दिनांक 07.07.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री/मृतका को प्रेमजाल में फसाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए और वीडियो वारयल करने की धमकी के नाम पर सोने व चांदी के जेबरात कीमत लगभग 25,00,000/– ले लिये तथा अभियुक्त द्वारा धर्म परिवर्तन न करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे क्षुब्ध होकर वादिनी की पुत्री मृतका साक्षी उर्फ पल्लवी ने अपने शरीर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा की पुत्री/मृतका को प्रेमजाल में फसाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए और वीडियो वारयल करने की धमकी के नाम पर सोने व चांदी के जेबरात कीमत लगभग 25,00,000/– ले लिये तथा धर्म परिवर्तन न करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिससे क्षुब्ध होकर वादिनी की पुत्री मृतका साक्षी उर्फ पल्लवी ने अपने शरीर में आग

लगाकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा मृतका को आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करना बताया गया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु due to shock as a result of antemortem thermal flame burn injuries से होना अंकित किया गया है। दौरान विवेचना विवेचक को दिये गये अपने अपने बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० में वादिनी प्रेमलता, गवाह हरनाम सिंह, गवाह विशाल ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आये तथ्यों का समर्थन किया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता के बावत कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों, अभिकथित अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का कोई पर्याप्त एवं समुचित आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **हनी उर्फ ताह** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 247/2026 अन्तर्गत धारा 108 बी०एन०एस०, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–13.08.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।
J.O CODE– UP 2011